# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्याः 172/2017

दर्ज दिनांक : 15/12/2017

निर्णय दिनांक : 16/02/2018

मांगीलाल पुत्र रंगलाल जाति गुर्जर निवासीः बडहाली, तहसील फागी, जिला जयपुर।

--वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

-- प्रतिवादी

**वाद बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती**

उपस्थितः

**श्री भोजराज सिंह राजावत एडवोकेट**

विद्वान अधिवक्ता वादी

**प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज0 उप0।**

निर्णय दिनांकः 16/02/2018

## -: निर्णय :-

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी खाता संख्या 57 के आराजी खसरा नंबर 2545 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा ग्राम बडहाली, पटवार हल्का पीपला, भू.अभि.नि. क्षेत्र चित्तौडा, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसका वादी एकमात्र खातेदार काश्तकार है। आराजी वादी की कब्जे काश्त की आराजी है जो वादी को उसके द्वारा क्रय करने पर जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र प्राप्त आराजी भूमि है जो रजिस्ट्री करवाते समय मांगू पुत्र रंगलाल जाति गुर्जर के नाम से करवा दी गई। वादी का सही नाम मांगीलाल पुत्र रंगलाल है

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

जिसे सामान्य बोलचाल में मांगू भी पुकारा जाता है जिसके अनुसार ही विक्रय पत्र में मांगू दर्ज कर दिया उक्त दोनो नाम वादी के ही है। वादी के समस्त दस्तावेज राशनकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पेन कार्ड व सरपंच का प्रमाण पत्र बना हुआ है जिसमे वादी का नाम मांगी लाल पुत्र रंगलाल है जबकि अन्य खाता संख्या 56 जो ग्राम बडहाली में ही स्थित है जिसमें वादी का नाम मांगीलाल पुत्र रंगलाल दर्ज है। वादी का नाम मांगू जो अपूर्ण नाम है सद्भावित नाम मांगीलाल है परन्तु उक्त नाम राजस्व रिकॉर्ड में मांगू दर्ज है जिसके कारण वादी अपने उक्त खाता संख्या 57 में मांगू दर्ज होने से अपनी आराजी को उन्नत व उपजाऊ बनाने में मिलने वाली राजकीय सुविधा व किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में समस्या उत्पन्न हो गई है इसलिये वादी को अपना नाम दुरूस्त करवाना आवश्यक हुआ है। वादी का सही नाम मांगीलाल पुत्र रंगलाल है एवं इसी नाम से गांव में जाना पहचाना जाता है। मांगू पुत्र रंगलाल व मांगीलाल पुत्र रंगलाल एक ही व्यक्ति है इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम बडहाली में नहीं है इसलिए वादी को यह वाद इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी पेश करना लाजमी आया है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। वादी उक्त आराजी पर शुरू से लेकर आज तक काबिज काश्त है एवं वादी ही एकमात्र मौके पर काबिज है वादी को उक्त आराजी की घोषणा खातेदारी सही नाम से करवाने हेतु यह वाद घोषणा इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी उपरोक्त आराजी पर काबिज है एवं वादी का ही नाम राजस्व रिकॉर्ड में मांगू पुत्र रंगलाल दर्ज होने से यह वाद वादी का अपने अपने नाम को दुरूस्त करवाने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है उक्त नाम जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है मांगू पुत्र रंगलाल वह नाम वादी का है।

वादी ने दावा के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित कर अनुतोष चाहा है कि वादी का वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती किया जाकर डिक्री इस आशय की फरमाई जावे विवादग्रस्त आराजी वर्णित वाद में वादी का सही नाम मांगीलाल पुत्र रंगलाल है एवं वादी खातेदार काश्तकार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गई। दिनांक 26.12.2017 को प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 15.02.

2018 को वकील वादी ने साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–1 वादी मांगीलाल पुत्र रंगलाल, पी.डब्ल्यू–2 भोजाराम पुत्र रंगलाल, पी.डब्ल्यू–3 कजोड पुत्र भोजाराम के शपथ पत्र पेश किये, शामिल पत्रावली किये गये।

तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये है कि उक्त भूमि विक्रय पत्र द्वारा मांग्या पुत्र रंगलाल गुर्जर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में है जबकि वादी की आई.डी., राशनकार्ड, आधारकार्ड व विरासत से आई भूमि में मांगीलाल पुत्र रंगलाल है। मांग्या पुत्र रंगलाल की बजाय मांगीलाल पुत्र रंगलाल कर दिया जाये तो कोई आपत्ति नहीं है।

बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, फोटोप्रति राशनकार्ड, फोटोप्रति आधारकार्ड, फोटोप्रति मतदाता पहचान पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार फागी, शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 वादी मांगीलाल पुत्र रंगलाल, पी.डब्ल्यू–2 भोजाराम पुत्र रंगलाल, पी.डब्ल्यू–3 कजोड पुत्र भोजाराम इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मांग्या दर्ज रिकॉर्ड है।

वादी ने वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड मे अपना नाम मांग्या के स्थान पर मांगीलाल दर्ज करवाना चाहा है।

वादी के अनुतोष पर मनन किया गया। बाद मनन यह पाया गया कि पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र में वादी का नाम मांगीलाल अंकित है। पी.डब्ल्यू–2 भोजाराम पुत्र रंगलाल एवं पी.डब्ल्यू–3 कजोड पुत्र भोजाराम ने अपने शपथो में उक्त दोनो नाम वादी के होने का कथन किया है।

प्रकरण के संपूर्ण तथ्यो पर गौर व मनन करने एवं पत्रावली के समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर मेरे द्वारा वादी वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज मांग्या पुत्र रंगलाल को हजफ कर इसके स्थान पर मांगीलाल पुत्र रंगलाल दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 2545 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा ग्राम बडहाली, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज मांग्या पुत्र रंगलाल को हजफ कर इसके स्थान पर मांगीलाल पुत्र रंगलाल दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16/02/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी, फागी
जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)
फागी

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

## अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

### बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

मांगीलाल

बनाम

तहसीलदार फागी

### ::– वाद बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती ::–

मुकदमा नं0 – 172/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 2545 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा ग्राम बडहाली, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज मांग्या पुत्र रंगलाल को हजफ कर इसके स्थान पर मांगीलाल पुत्र रंगलाल दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

निज.....................मुबलिग....................................................बाबत................................................................ खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह........................................................फीसदी............सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16/02/2018 को जारी की गई।

दस्तखत...............

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

ओहदा...................

मुहर

उपखण्ड अधिकारी, फागी
जिला-जयपुर

| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुदायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | Nil | | फीस कमीश्नर | Nil | |
| फीस कमीश्नर | | | बबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)